न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2023/284
दायरा तिथि : 30.10.2023
निर्णय दिनांक: 02-02-2024

वादी:–
भूराराम पुत्र लुम्बाराम जाति मेघवाल
निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–
1. श्री भरत जे. राठौड ..... अभिभाषक वादी की ओर से
2. नायब तहसीलदार..... पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 02-02-2024

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 680 रकबा साढे पांच बीघा किस्म बारानी दोयम से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1167 में से 0.88 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरूद्ध सार्वकालिका निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा इसका आधार यह बताया कि वादी को ग्राम बिसलपुर के पुराने खसरा नंबर 680 में साढे पांच बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2 दिनांक 14.01.1983 को आवंटन की तथा आवंटन का नामान्तरकरण वादी तथा अन्य आवंटियों के नाम नामान्तरकरण संख्या 111 दाखिल किया जाकर स्वीकृत किया गया। भूमि आवंटन के संमय भू–प्रबंध की कार्यवाही विचाराधीन होने से वादी को आवंटन सुदा भूमि के नामान्तरकरण का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो सका तथा आवंटित भूमि गत खसरा नंबर 680 के भू–भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर को राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया। जबकि वादी अपने आवंटन सुदा भूमि पर आज दिन तक लगातार काबिज काश्त है। राजस्व रेकर्ड में भूमि सिवायचक दर्ज होने तथा तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधियों द्वारा वादी को आवंटन सुदा भूमि के संबंध में धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही करने से वादी के पास वाद प्रस्तुती के अलावा कोई विकल्प नहीं होने से वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया है। वाद प्रथमदृष्टया वादी के पक्ष में होने से वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रति नक्शा ट्रेस की प्रति, वर्तमान जमाबंदी की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति पेश की गई। इन दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 भूराराम पुत्र लुम्बाराम मेघवाल वादी स्वयं के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी के वादपत्र का प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर वादी को ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 में से रकबा साढे पांच बीघा आवंटन होना स्वीकार किया तथा आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 111 स्वीकृत होकर वादी को गैर खातेदार दर्ज किया जाना भी स्वीकार किया। अपने जवाब/रिपोर्ट में मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 में वादी को आवंटन व कब्जे की भूमि बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन भाखर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होना भी स्वीकार किया। अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में भी खाता संख्या 1 में राजकीय सिवायचक दर्ज होना वर्णित किया। वादी के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही होना भी स्वीकार किया। अपनी रिपोर्ट के अंत में वादी के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 111 का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से भूमि सिवायचक दर्ज होना भी वर्णित किया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने अपने जवाब/रिपोर्ट के साथ नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रति, वर्तमान नक्शा की प्रतियां, नक्शे में वादी की कब्जे की भूमि को लाल स्याही से वर्णित किया। आधार कार्ड की प्रति, वादी द्वारा भू–आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा उस पर की गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात भूआवंटन कमेटी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2 दिनांक 14.01.1983 की प्रति, वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–79 की प्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश की गई। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। दावे/जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में पृथक से तनकियात कायम की जाकर वादी पक्ष के बयान लिये गये। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से वादी की मौखिक साक्ष्य के पश्चात उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को निम्नानुार निर्णीत किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

लगातार पेज 2

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No 2023/284

अनवान भूराराम बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. आया सरहद बिसलपुर तहसील बाली में विद्यमान पुराने खसरा नंबर 680 रकबा साढे पांच बीघा जिसके नये खसरा नंबर 1167 वादी को जरिये आदेश संख्या 2 दिनांक 14.01.1983 उपखण्ड अधिकारी बाली के आवंटन की गई ? ..... जिम्मे वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का था। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श ईएक्स 11 की प्रति के अनुसार यह ज्ञात है कि वादी भूराराम पुत्र लुम्बाजी मेघवाल निवासी बिसलपुर को भूआवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन करने पर पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के बाद भूमि वितरण समिति द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2 दिनांक 14.01.1983 से ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 में रकबा साढे पांच बीघा भूमि आरक्षित मूल्य पर आवंटन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रति प्रदर्श ईएक्स 1 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश नंबर 2 दिनांक 14.01.1983 से राजस्व अभियान में भूमि आवंटन होने से अन्य आवंटियों के साथ वादी का नाम क्रम संख्या 20 पर दर्ज होकर बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 में रकबा साढे पांच बीघा का गैर खातेदार अंकन होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श ईएक्स 14 के अनुसार बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 मी. से हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर बनना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ईएक्स 3 मिसल बंदोबस्त संवत 2036 से 2057 की प्रति के अनुसार बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन भाखर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2044 से 2047 की प्रति, संवत 2052 से 2055 की प्रति, संवत 2056 से 2059 की प्रति तथा वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श ईएक्स 4 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भी मिसल बंदोबस्त में दर्ज इन्द्राजों को दोहराया जाना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ईएक्स 21 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार संवत 2080 की खरीद में वादी का बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 में 0.80 हैक्टर पर कब्जा होना प्रमाणित है। इस प्रकार प्रदर्श ईएक्स 1 व प्रदर्श ईएक्स 11 में दर्ज इन्द्राजों के अनुसार वादी को ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 में साढे पांच बीघा भूमि दिनांक 14.01.1983 को आरक्षित मूल्य पर आवंटन होना प्रमाणित है तथा नामान्तरकरण संख्या 111 के द्वारा वादी को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया जाना भी प्रमाणित है। इस तथ्य को प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है तथा वादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य में भी प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों को स्वीकार करते हुये वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि की है। जिससे तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

2. आया दौराने भूप्रबंध कार्यवाही भूप्रबंध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज की गई ? .... जिम्मे वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी पक्ष का था, वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादी को ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 में साढे पांच बीघा भूमि का गैर खातेदार दर्ज किया जाना तथा भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नंबर 680 मी. के हाल खसरा नंबर 1167 बनना प्रमाणित है तथा मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2057 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भूप्रबंध कार्यवाही समाप्ति के पश्चात तैयार अभिलेख में वादी को आवंटन सुदा, दाखिल व नामान्तरकरण संख्या 111 में बतौर गैर खातेदार दर्ज किये जाने के बावजूद भूमि पुनः राजकीय सिवायचक दर्ज किया जाना भी प्रमाणित है। इसके पश्चात बनी उत्तरोत्तर जमाबंदियों तथा वर्तमान जमाबंदी में बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज होना प्रमाणित है। इस तथ्य को प्रतिवादी पेराकार सरकार ने अपनी जांच में भी स्वीकार किया है। तथा वाद का वर्तमान में बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर में से जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भाग रकबा 0.88 हैक्टर पर कब्जा है। जिससे तनकी संख्या 02 भी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया वादी खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हैं ? .....जिम्मे वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी का था। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो तथा प्रतिवादी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 में साढे पांच बीघा भूमि वादी को वर्ष 1983 में आवंटन में होकर नामान्तरकरण संख्या 111 के जरिये गैर खातेदार दर्ज किये जाने के

लगातार पेज 3

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No 2023/284

अनवान भूराराम बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

बावजुद बंदोवस्त पश्चात् के रिकार्ड ऑफ राईटस में भूमि सिवाय चक दर्ज होने तथा वादी माफिक आवंटन के आदिनांक तक वादी बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 से बने हाल खसरा नंबर 1167 में रकबा 0.88 हैक्टर पर काबिज है। जिससे तनकी संख्या 01 व 02 में किये गये विवेचन के अनुसार वादी ग्राम बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 0.88 हैक्टर की घोषणा खातेदारी पाने तथा प्रतिवादी तहसीलदार, बाली के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने का अधिकारी है। जिससे उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

4. आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से भूमिधारी वादी के विरूद्व कार्यवाही करने का अधिकारी हैं ? ....जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी का था। वादी के वादपत्र मे उल्लेखित तथ्यो को प्रतिवादी तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये जवाबदावा पेश किया है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादी को भू0आवंटन कमेटी द्वारा वर्ष 1983 में आवंटन शुदा साढे पांच बीघा का नामान्तरकरण संख्या 111 भू0प्रबन्ध कार्यवाही से पुर्व स्वीकृत होने से भू0प्रबन्ध विभाग का दायित्व था कि वे अपने दायित्व का सही तौर पर निर्वहन करते हुये वादी को आवंटन शुदा भूमि के मौका स्थिति अनुसार बने बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 1167 में रकबा 0.88 हैक्टर का खातेदार दर्ज करते, परन्तु प्रस्तुत अभिलेखो से यह प्रमाणित हैं कि भू0प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा दोषपुर्ण कार्यवाही करते हुये वादी को आवंटन शुदा भूमि, जिसकी नामान्तरकरण संख्या 111 वादी के नाम बतौर गैर खातेदार सैटलमेंट से पुर्व के अभिलेखो में दर्ज था, उस नामान्तरकरण का बंदोवस्त बाद के अधिकार अभिलेखों अमल दरामद नहीं किया तथा मौका स्थिति अनुसार तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680मी. से बने हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर किस्म गै.मु. भाकर को राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज कर दिया। जिस तथ्य को तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का, बिसलपुर बखुबी जानते हुये वादी के विरूद्व धारा 91 एल. आर.एक्ट. के तहत कार्वाही करते है, जिससे प्रतिवादी तहसीलदार, बाली द्वारा वादी के विरूद्व की जा रही धारा 91 एल.आर.एक्ट. की कार्यवाही को न्याय संगत नहीं माना जा सकता। उक्त विवेचन से तनकी संख्या 04 भी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. अनुतोष ?

तनकी संख्या 01 से 05 वादी के पक्ष में निर्णित हो जाने से वादी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं रहता है।

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 से 04 वादी के पक्ष में निर्णित हो जाने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 रकबा साढे पांच बीघा भूमि से मौका स्थिति तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1167 रकबा 2.19 हैक्टर किस्म गै.मु. भाकर मेंसे रकबा 0.88 हैक्टर का तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0 भाग का वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत खातेदार घोषित किया जाता है। वादी के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादी दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु प्रतिवादी तहसीलदार, बाली के विरूद्व धारा 188 टिनेंसी एक्ट के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बिसलपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

([illegible] दान)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 02-02-24को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बाली
बाली (जिला-पाली) राज

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner